न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–33/2021 (GCMS No. 2021/34) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अर्जुन पुत्र दामोदर आयु 70 साल जाति माली निवासी हरीपुरा (नींदर) तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. दामोदर पुत्र लालजीत आयु 56 साल
2. चिरंजी पुत्र लालजीत आयु 52 साल
3. कमलेशी पत्नी भोला आयु 35 साल

} जाति माली निवासीयान हरीपुरा (नींदर) तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.

4. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली(राज.)

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2021 न्यायालय जिला कलक्टर करौली मु.नं. 27/2020 उनवानी अर्जुन बनाम दामोदर वगै. एवं आदेश दिनांक 13.09.2019 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल तहत धारा 224 आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद गोयल, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं तहसीलदार मण्डरायल के आदेश दिनांक 13.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

खसरा नम्बर 617 रकवा 14 विस्वा, 618 रकवा 19 विस्वा ग्राम हरीपुरा नींदर ढाणी हरीपुरा की आबादी भूमि से लगी हुई है एवं ख.नं. 618 रकवा 19 विस्वा भी आबादी से लगी हुई है। ख.नं. 617, 618 में से अपीलांट को 3 विस्वा भूमि हिस्से में दी है। रेस्पो. नं. 1 व 2 ने पटवारी हल्का नींदर व गिरदावर हल्का नींदर से साज कर अपीलांट से भूमि के सीमांकन कराने की कहकर उक्त आराजीयात 1 बीघा 10 विस्वा भूमि कीमती आबादी को बंटबारा प्रस्ताव में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों का कुल रकवा 1 बीघा 13 है में से अपीलांट को 3 विस्वा भूमि बंटबारा में दी गई। अपीलांट 70 वर्ष का वृद्व एवं अनपढ है। आंखों से कम दिखता है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को ख.नं. 617, 618 का कितना रकवा हिस्से में नक्शा बंटबारा प्रस्ताव में देना नहीं बताया और गिरदावर द्वारा भी अपीलांट को बंटबारा प्रस्ताव पढकर नहीं सुनाया गया और गवाहान भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पुत्री को बनाकर साजिशी बंटबारा अपीलांट के हिस्से की भूमि को हडपने के लिए तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से साज कर आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायलय ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से से पैरवी हेतु श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील हाजिर अदालत आये। रेस्पो. संख्या 3 व 4 बावजूद पर्याप्त तामील/सूचना अनुस्थित रहे।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 617 रकवा 14 विस्वा, 618 रकवा 19 विस्वा ग्राम हरीपुरा नींदर ढाणी हरीपुरा की आबादी भूमि से लगी हुई है एवं ख.नं. 618 रकवा 19 विस्वा भी आबादी से लगी हुई है। ख.नं. 617, 618 में से अपीलांट को 3 विस्वा भूमि हिस्से में दी है। रेस्पो. नं. 1 व 2 ने पटवारी हल्का नींदर व गिरदावर हल्का नींदर से साज कर अपीलांट से भूमि के सीमांकन कराने की कहकर उक्त आराजीयात 1 बीघा 10 विस्वा भूमि कीमती आबादी को बंटबारा प्रस्ताव में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों का कुल रकवा 1 बीघा 13 है में से अपीलांट को 3 विस्वा भूमि बंटबारा में दी गई। अपीलांट 70 वर्ष का वृद्व एवं अनपढ है। आंखों से कम दिखता है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को ख.नं. 617, 618 का कितना रकवा हिस्से में नक्शा बंटबारा प्रस्ताव में देना नहीं बताया और गिरदावर द्वारा भी अपीलांट को बंटबारा प्रस्ताव पढकर नहीं सुनाया गया और गवाहान भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पुत्री को बनाकर साजिशी बंटबारा अपीलांट के हिस्से की भूमि को हडपने के लिए तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से साज कर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायलय ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की खरीदशुदा भूमि वादग्रस्त नहीं है। रेस्पो. द्वारा एकमात्र यह कथन किया कि अपीलांट की खरीदाशुदा भूमि का बंटबारा नहीं हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की फरमाई जाकर आदेश दिनांक 22.02.2021 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली एवं निर्णय दिनांक 13.09.2019 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल निरस्त किया जाकर बंटवारा खाता संख्या 15 कुल किता 13 कुल रकवा 23 बीघा 01 विस्वा जमाबंदी संवत् 2072–2075 निरस्त किये जावें।

5. विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट के तर्कों का पुरजोर खण्डन करते हुये लिखित बहस पेश कर दलील दी कि तहसीलदार मण्डरायल के राजीनामा के अन्तर्गत बटवारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य सहमति से होने के कारण धारा 224 राज. टी. एक्ट की अपील जिला कलक्टर एवं न्यायालय हाजा में मेनटेनिविल नहीं है। अपीलांट का कथन है कि आराजी ख. नं. 617 रकवा 14 विस्वा 618 रकवा 19 विस्वा किता 2 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा आबादी से लगे हुये है और अपीलांट को केवल 3 विस्वा ही बटवारे में आराजी प्रदान की है और 1 बीघा 10 विस्व रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज कर दिया है जबकि पटवारी हल्का एवं गिरदावर नींदर ने कोई साज रेस्पोडेन्टस से नहीं की और सहमति के आधार पर ही हस्व कायदा निष्पादित कराकर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया था। राजीनामा व सहमति के आधार पर आराजीयात का बटवारा किया है। पटवारी व गिरदावर के ऊपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। राजीनामा को कैंसिल कराने हेतु सिविल कोर्ट में अपीलांट को कार्यवाही करनी चाहिए थी। जिला कलक्टर के यहां अपील मेनटेनिविल नहीं थी। अपीलांट का यह कथन कि 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और आंखों से कम दिखता है निराधार है क्योंकि राजीनामा बंटवारनामा समस्त आराजीयात का अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के मध्य विधिवत गवाहान के हस्ताक्षर कराकर स्टाम्प पर निष्पादित होने के बाद तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। अपील भी बेबुनियाद आधारों पर जिला कलक्टर करौली के यहां पेश की जो खारिज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा कोई भी दोनों निर्णयों में कोई त्रुटि न होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यदि बटवारा अर्न्तगत धारा 53 राज. टी. एक्ट के अर्न्तगत होता तो उसकी प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां और द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में होती है। धारा 224 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल एल.आर.एक्ट के तहत सुनने का अधिकार है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खाता संख्या 15 कुल खसरा किता 13 रकवा 23 बीघा 01 विस्वा का आपसी सहमति के आधार पर पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार मण्डरायल द्वारा दिनांक 13.09.2019 को जारी किया गया है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। सहमति बंटवारे प्रस्ताव के लिए स्टाम्प भी अपीलांट द्वारा ही क्रय किये गये हैं। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा यह पक्षकारान के मध्य बंटवारे का मामला है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से व्यवहृत है तथा साथ ही मौजूदा निर्णय की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां सुनवाई हेतु संस्थित होनी चाहिए थी जो विधि विरूद्व रूप से न्यायालय जिला कलक्टर करौली के यहां पेश की गई है। बंटवारा उभयपक्षकारान की सहमति से हुआ है जिससे ऐसे में राजीनामा को कैंसिल करने के लिए सिविल कोर्ट ही सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा भी विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से हम सहमत नहीं है तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत है। उक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थों न्यायालयों के आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं समझते है। ऐसे में उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 22.02.2021 एवं तहसीलदार मण्डरायल का निर्णय दिनांक 13.09.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर